उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की दिनांक 18जून,1998 को सम्पन्न हुयी 1998 की 170वीं बैठक की कार्यवृत्त

दिनांक 18.6.98 को बैठक प्रारम्भ हुयी जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1.	श्री महेश दत्त शर्मा,	अध्यक्ष
2.	श्री राम वृक्ष प्रसाद, संयुक्त सचिव(आवास) प्रतिनिधि-सचिव(आवास)उ0प्र0शासन	सदस्य
3.	श्री राकेश कुमार मित्तल, आवास आयुक्त उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
4.	श्री जयन्त आनन्द जोशी, मुख्य अभियन्ता प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सदस्य
5.	श्री वीरेश कुमार मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
6.	डा0एन0के0गर्ग प्रतिनिधि निदेशक, सी0बी0आर0आई0, रूड़की	सदस्य
7.	श्री एस0के0वर्मा, मुख्य अभियन्ता उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य

<u>विशेष आमंत्री के रूप में:-</u>

1.	श्री सुबोध शंकर, मुख्य वास्तुविद नियोजक उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
2.	श्री बी0एन0उपाध्याय, वित्त नियंत्रक उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3.	श्री एस0सी0दीक्षित, विधि परामर्शदाता उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से निम्नवत निर्णय लिये गये:-

मदसंख्या	विषय	निर्णय
1	2	3
1.	परिषद की 169वीं बैठक दिनांक 27.3.98 की कार्यवृत्त की पुष्टि	पुष्टि की गयी।

1	2	3
2.	परिषद की 169वीं बैठक दिनांक 27.3.98 की अनुपालन आख्या।	अवलोकन किया गया। मद संख्या-2(9) में शासकीय ऋण के भुगतान के लिये कार्य योजना बनाने का निर्णय लिया गया साथ ही हुडको अथवा एन0एच0बी0 से नेगेटिव लियन के आधार पर ऋण लेने की स्वीकृति सिद्धान्त रूप से दी गई।
3.	परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणी की सूची	अवलोकन किया गया।
4.	वित्तीय वर्ष 1997-98 में माह मार्च,98 तक परिषद की भौतिक एवं वित्तीय स्वीकृति उपलब्धियो का विवरण।	अवलोकन किया गया व वर्ष 1997-98 में परिषद की उपलब्धियो पर संतोष व्यक्त किया गया।
5.	दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-8 सहारनपुर(क्षेत्रफल 199.93एकड़ अनुमानित लागत रू0 43.85 करोड़)	अनुमोदित। आसुधार शुल्क लेते हुये भूमि अर्जन मुक्त या समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।
6.	लोनी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गाजियाबाद की नियोजन समिति की संस्तुतियाँ(क्षेत्रफल 345.30एकड़ अनुमानित लागत रू0 7465.90 लाख)	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि एन0सी0आर0 बोर्ड की सहमति प्राप्त होने के बाद ही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाय। इसके लिये कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये।
7.	कुर्सीरोड योजना में समाविष्ट ग्राम खुर्रम नगर के खसरा सं0 118 व 120 की भूमि के सम्बन्ध में।	अनुमोदित। परिषद की जमीन जिसका प्रतिकर भुगतान किया गया है, की कीमत तथा प्रार्थी की जमीन पर आसुधार शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया।
8.	हरदोई रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, शाहजहाँपुर के धारा-28 हेतु प्रस्ताव।	अनुमोदित। भूउपयोग का उल्लेख किया जाय तथा भविष्य में इस प्रकार के प्रस्तावों के साथ नक्शा संलग्न किया जाय।
9.	सिकन्दरा योजना, आगरा में समाविष्ट ग्राम ककरैठा की भूमि के सम्बन्ध में वाद संख्या 5/92 एवं 6/92 में मा0न्यायालय के आदेश दिनांक 18.3.98 के क्रम में निगोसियेशन सेटिलमेन्ट के आधार पर भुगतान के सम्बन्ध में।	अपील की अवधि के अन्दर प्रकरण का विधिक परीक्षण करके अपील करने या न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया तबतक प्रस्ताव पर निर्णय स्थगित रहेगा।
10.	परिषद की इंदिरानगर योजना, लखनऊ के खसरा सं0506, ग्राम गाजीपुर सईदुलनिशां के अन्तर्गत श्री आत्मा राम जैन की 3200वर्गफुट भूमि को अर्जनमुक्त करने के सम्बन्ध में।	विधिक दृष्टिकोण से पुनः परीक्षण करने का निर्णय लिया गया।
11.	स्व0श्री जयप्रकाश सिंह, वर्कएजेन्ट, नियमित कार्य प्रभारित कर्मचारी की बीमारी के इलाज पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।

20/6

20/6/98

1	2	3
12.	परिषद योजनाओ में स्थित स्टाफ क्वार्टरो को स्टाफ भवन से अनारक्षित करके उनमें आवासित परिषद कर्मियो के पक्ष में निजी तौर पर आवंटित करने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।भविष्य में स्टाफ क्वार्टर को परिषद कर्मचारियों को आवंटित करने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया।
13.	परिषद द्वारा कानपुर में संचालित योजनाओ के निर्माण एवं विकास कार्यों में व्याप्त अदरताओ के सम्बन्ध में श्री एस0एफ0एम0अली, अधीक्षण अभियन्ता(तत्कालीन) के विरूद्ध गठित विभागीय जांच के सम्बन्ध में ।	सी0पी0एफ0, जी0आई0एस0तथा अवकाश नकदीकरण अवमुक्त कर दिया जाय तथा अगली परिषद बैठक में जॉच आख्या प्रस्तुत की जाय।उक्त अगली बैठक तक जॉच आख्या न प्रस्तुत हो सकने की स्थिति में श्री अली के प्रकरण में अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा।
14.	आवास आयुक्त के आदेश दिनांक 5.12.97 द्वारा पारित दण्ड के विरूद्ध श्री ब्रहमसिंह, अवर अभियन्ता की अपील दिनांक 5.1.98	अपील आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुये श्री ब्रहम सिंह अवर अभियन्ता की 2 स्थाई वेतनवृद्धि रोकने के स्थान पर 2 वेतनवृद्धि अस्थाई रूप से रोके जाने तथा शेष दण्ड यथावत रखने का निर्णय लिया गया।
15.	परिषद में परामर्शदाता की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित किया गया।यह अपेक्षा की गयी कि परामर्शदाताओं के कार्य का निर्धारण स्पष्ट रूप से हो ताकि उनकी उपयोगिता सिद्ध हो सके।
16.	परिषद के सम्पत्ति प्रबन्धक/सहायक लेखाधिकारी सवंर्ग को शासनादेश दिनांक 5.2.1997 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सैलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नत वेतनमान की सुविधा अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि इसका पुनः परीक्षण करा लिया जाय।
17.	नेहरू नगर योजना संख्या-1 देहरादून के विकास कार्यो की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित किया गया।
18.	बसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-19 में स्वयं वित्त पोषित परियोजना-98-ए(प्रथम चरण)के अन्तर्गत एफ-95 एवं एफ-127 प्रकार चार मंजिले भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित किया गया।
19.	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर 16 बी में प्रस्तावित शापिंग काम्पलेक्स के निर्माण के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित किया गया।
20.	उत्तर प्रदेश सरकार के नीति के अनुसार परिषद के विभिन्न योजनाओ में लघु मध्यम आय वर्ग भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित किया गया।
21.	परिषद की तेलीबाग योजना लखनऊ, बसुन्धरा योजना गाजियाबाद एवं सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय इन्दिरानगर लखनऊ को कम्प्यूटरीकृत किये जाने के सन्दर्भ में मै0सी0एम0सी0लि0 की सेवाये लिये जाने के सम्बन्ध में ।	परिषद द्वारा सिद्धान्तः प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।शासन से भी वित्तीय सहयोग का प्रयास किया जाय।

1	2	3
22.	स्व0श्री दिनेश चन्द्र अवर अभियन्ता को कानपुर योजना सं0–2 में आवंटित भूखण्ड संख्या–ए–707 के विरुद्ध देय धनराशि माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित। इस नीति के अन्तर्गत भविष्य में आवास आयुक्त को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
23.	विस्थापित श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियो को आवंटन में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित। निर्णय लिया गया कि इस बात का ध्यान रखा जाय कि विभिन्न श्रेणी के लिये पहले से जो आरक्षण की सुविधा विद्यमान है उसमें 10प्रतिशत का समायोजन किया जायेगा जो अवशेष बचेंगे उन्हें सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा।
24.	गोरखपुर शहर में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उन्हें आवंटित स्टाफ क्वार्टर के रूप में आवंटित भवनों को अनारक्षित कर किश्तों पर आवंटित करने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित किया गया।
25.	दिल्ली रोड योजना संख्या–1 खतौली, स्थित दुर्बल आय वर्ग भवनों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित किया गया।
26.	परिषद योजना संख्या–2 अलीगढ़ में अल्प आय वर्ग स्टाफ क्वार्टर भवन सं0–178 श्रीमती सोनम नायक पत्नी श्री ओम प्रकाश नायक के पक्ष में आवंटित करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
27.	इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में नवचेतना पब्लिक स्कूल एवं ब्लूमिंग बड्स स्कूल की क्रमश: सेक्टर–8 एवं 21 में स्कूल भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
28.	परिषद की शास्त्रीनगर योजना संख्या–07 मेरठ स्थित भूखण्ड संख्या 3/8 के विरूद्ध लगाये गये अनिर्माण शुल्क को माफ करने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित किया गया।
29.	परिषद की योजनाओं में स्वंय वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निर्मित किये गये भवनों के परिवर्तन शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित। सभी प्रकार की सम्पत्तियो हेतु परिवर्तन शुल्क सम्बन्धित सम्पत्ति मूल्य का 10प्रतिशत लिये जाने का निर्णय लिया गया।
30.	परिषद की इन्दिरानगर योजना देहरादून स्थित भूखण्ड सं0 119 पर निर्माण हेतु समयवृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित किया गया।
31.	शास्त्रीनगर योजना संख्या–7 मेरठ में स्थित धार्मिक भूखण्ड संख्या–आर–4 तथा भूखण्ड संख्या–आर–5 के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित किया गया।
32	नेहरूनगर योजना देहरादून के ए–ब्लाक स्थित स्कूल भूखण्ड के आवंटन के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित किया गया।

2016

1	2	3
33.	योजना संख्या-2 बरेली स्थित दुर्बल आय वर्ग स्टाफ क्वार्टर संख्या-बी-102 के आवंटन के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
34.	परिषद की मेरठ स्थित विभिन्न योजनाओं में नर्सरी/प्राईमरी स्कूल हेतु आरक्षित भूखण्डो का आवंटन के सम्बन्धी में।	अनुमोदित किया गया।
35.	श्रीमती पतासी देवी, गोरखपुर को जनता ऋण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण रू0 48.000/=की किश्तों पर बकाया साधारण व्याज तथा दण्डव्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि सामान्य नीति निर्धारण के अन्तर्गत अनुमोदित करते हुये 30 जून,98 तक की बकाया राशि के आधार पर जो लोग 30सितम्बर तक भुगतान कर देते है,उनसे अतिरिक्त ब्याज न लिया जाए तथा जुलाई से सितम्बर,98 की अवधि का साधारण ब्याज फ्रीज रहेगा। 1 अक्टूबर से 31 मार्च,99 की अवधि में भुगतान करने वालो को अतिरिक्त ब्याज से मुक्त रखा जाय तथा उनसे साधारण ब्याज वसूल किया जाय। 31मार्च के बाद भुगतान करने वाले से पूर्व की भाँति साधारण ब्याज व अतिरिक्त ब्याज लिये जाने का निर्णय लिया गया।
36.	श्रीमती सुखदा मिश्रा, सिविल लाइन्स, इटावा को जनता ऋण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण रू02,50,000/= पर लगाये गये व्याज/दण्ड व्याज के सम्बन्ध में ।	-तदैव-
37.	व्यापार कर अधिनियम 95 के पूर्व के मामलों में परिषद द्वारा देय बिक्रीकर तथा अर्थदण्ड के माफी के सम्बन्ध में शासन स्तर पर गठित विवाद समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
38.	इन्दिरानगर योजना लखनऊ में आवासीय सम्पत्तियों का उपयोग परिवर्तन ।	प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया गया। अधीक्षण अभियन्ता श्री अनेजा ने यह इंगित किया कि कोई भी भूउपयोग परिवर्तन मास्टर प्लान के विपरीत न किया जाय और यदि किसी प्रकार की कोई संशोधन की आवश्यकता हो तो मास्टर प्लान में संशोधन के समय इसे विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।
39.	कानपुर की योजना सं0-1,2 व 3 के नामांकरण पर पुनः विचार ।	स्थिति यथावत रखने का निर्णय लिया गया।
40.	आवास विकास परिषद की भूमि निजी क्षेत्रों के डेवलपर्स के पक्ष में/आवासीय समितियों के पक्ष में वल्क सेल के माध्यम से भूमि के निस्तारण के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव सिद्धान्त रूप से स्वीकृत किया गया किन्तु इसे शासन को संदर्भित करके इस सम्बन्ध में सामान्य नीति निर्धारण करने हेतु अनुरोध किये जाने का निर्णय लिया गया।
41.	खुर्जा पहासु मार्ग भूमि विकास एंव गृहस्थान योजना सं0-2 खुर्जा जिला बुलन्दशहर में सीधी बातचीत के माध्यम से योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित किया गया ।
42.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत 447.41 एकड़ भूमि परिषद को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित किया गया।

1	2	3
43.	योजना संख्या–1 विस्तार कानुपर में समाविष्ट ग्राम मोहसिनपुर के खसरा संख्या: 1724 में श्रीमती पुष्पलता अवस्थी एवं श्रीमती मधुलता शुक्ला द्वारा धारा–28 की विज्ञप्ति के पश्चात क्रय की गयी 2.5–2.5 विश्वा भूमि व उस पर स्थित निर्माण के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित किया गया।
44.	दिल्ली सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गाजियाबाद की धारा–28हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन ।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि एन0सी0आर0बोर्ड की सहमति प्राप्त होने के बाद ही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाय। इसके लिए कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।
45.	बुलन्दशहर बाई पास मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गाजियाबाद की धारा–28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन ।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि एन0सी0आर0बोर्ड की सहमति प्राप्त होने के बाद ही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाय। इसके लिए कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।
46.	कुर्सी रोड (विकासनगर) योजना लखनऊ में समाविष्ट महानगर नार्थ हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी की भूमि खसरा संख्या–159,160,154/1,155 स्थित ग्राम शेखापुर लखनऊ के सम्बन्ध में ।	आवास आयुक्त द्वारा पुनर्विचार करने का निर्णय लिया गया।
47.	उत्तर प्रदेश एवं विकास परिषद की तेलीबाग योजना स0–2 में सरदार पटेल शिक्षण समिति द्वारा क्रय की गयी भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित किया गया। किन्तु इस सम्बन्ध में सभी विन्दुओं का परीक्षण करते हुए उपयुक्त अनुबन्ध पत्र परिषद व प्रार्थी के मध्य निष्पादित किया जाय।
48.	प्रगति सेवा संस्थान हरदोई को प्राइमरी विद्यालय हेतु प्रहलादपुरी योजना हरदोई में भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित किया गया।
49.	परिषद की इन्दिरानगर योजना लखनऊ में डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल के पक्ष में प्रदिष्ट भूमि के विरूद्ध देय दण्ड व्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित किया गया।
50.	सेवेन्थ–डे एडवेन्टिस्ट स्कूल के पक्ष में इन्दिरानगर विस्तार योजना लखनऊ के सेक्टर–21 में आवंटित 4201वर्गमीटर भूमि के स्थान पर विकासनगर योजना लखनऊ के सेक्टर–5 में भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित किया गया।
51.	परिषद की पंचवटी योजना सीतापुर में सुमित्रा हाई स्कूल सीतापुर को भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित किया गया ।
52.	ट्रान्सयमुना योजना, आगरा फेज–प्रथम में स्कूल भूखण्ड हेतु आरक्षित भूमि क्षेत्रफल 3249 वर्गमीटर आवंटन के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित किया गया।
53.	इंदिरानगर योजना देहरादून स्थित भूखण्ड सं0392 पर निर्माण हेतु समयवृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित किया गया।
54.	परिषद की राधिका विहार योजना मथुरा स्थित आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनो की वकाया धनराशि वसूलने तथा छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	30.6.98तक के दण्ड ब्याज/अतिरिक्त ब्याज को माफ करते हुये किश्तो का पुर्ननिर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया।

1	2	3
55.	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।	सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गयी। मद संख्या 40 में प्रस्तावित शासन की नीति निर्धारण के पश्चात ही उसके परिप्रेक्ष्य में गाजियाबाद व तेलीबाग दोनो के सम्बन्ध में एक साथ विचार किये जाने का निर्णय लिया गया।
56.	परिषद के वास्तुविद संवर्ग को परिषद के अभियन्ताओ की भाँति समयबद्ध वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
57.	परिषद के सहायक आवास आयुक्तो को सहायक अभियन्ताओ की भाँति प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।	परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करा लिया जाय।
58.	परिषद की इंदिरानगर योजना लखनऊ में स्थित स्टाफ क्वार्टर संख्या सी–2171/6(दुर्बल आय वर्ग) को श्री सुरेश कुमार कन्नोजिया तथा भवन संख्या बी–1489(दु0आ0वर्ग) को श्री अहकूराम यादव, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पक्ष में आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
59	अनियमित कार्य प्रभारित कर्मचारियो/दैनिक वेतन कर्मचारियो एवं मस्टर रोल पर कार्यरत श्रमिको के मरणोपरांत मृतक आश्रितो के सेवा योजन विषयक।	अन्य विभागो की स्थिति देखते हुये प्रस्ताव का और परीक्षण करा लिया जाय।
60.	जनपद देहरादून में चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 द्वारा आई0पी0पी0–6परियोजना के अन्तर्गत जिलांचल प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य।	अनुमोदित किया गया।
61.	अतिदेय किश्तों पर साधारण ब्याज एवं दण्ड ब्याज का पृथक्कीकरण/दण्ड ब्याज का निर्धारण।	अनुमोदित। दिनांक 1.7.98 से यह व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष(म0) की अनुमति से अन्य विषय:–

62	परिषद के लेखाधिकारी, सम्परीक्षण अधिकारी एवं वित्त अधिकारी को सहायक अभियन्ताओ की भाँति प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।	परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करा लिया जाय।

पुष्टि की गयी
(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष